



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042023-245271
CG-DL-E-20042023-245271

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243]
No. 243]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2023/चैत्र 29, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2023/CHAITRA 29, 1945

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 305(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घ ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूर-संचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण में कतिपय पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूर-संचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (अधिकारी) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- ये नियम, इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. आरंभिक गठन- दूर-संचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) में पद धारण करने वाले ऐसे पदधारी जिसके लिए ये भर्ती नियम इन नियमों के आरंभ होने की तारीख पर नियमित आधार पर बनाए गए हैं वे नियमित आधार पर उनकी संबंधित श्रेणियों नियुक्त किए गए समझे जाएंगे, इस शर्त के अधीन कि वे उक्त पदों पर नियुक्ति की तारीख को नियमों के अधीन विहित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और इन भर्ती नियमों के आरंभ होने से पहले उक्त पदों में

उनके द्वारा की गई सेवाओं को ज्येष्ठता, पेंशन, उपदान और अन्य इसी तरह के फायदों के रूप में अधिकारी और विशेषाधिकारों के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

4. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

5. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि:** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो तद्वीन उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

6. **विद्यमान कर्मचारियों का आमेलन:-** (1) टीडीएसएटी के पदों में कार्य कर रहे व्यक्ति या तो स्थानांतरण पर या प्रतिनियुक्ति के आधार पर जिसके लिए आमेलन इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को हो सकता है और जो नियमों में अधिकथित अर्हताएं और अनुभव पूरा करते हैं तथा जिन्हें विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त समझा जाएगा, इस शर्त के अध्यक्षीन अपनी संबंधित श्रेणियों में आमेलन के लिए पात्र होंगे ऐसे व्यक्ति अपने विकल्प का प्रयोग करते हैं और मूल विभाग को उनके टीडीएसएटी में आमेलित होने पर कोई आपत्ति नहीं है।

(2) उपनियम (1) में यथाउल्लिखित आमेलित अधिकारियों की ज्येष्ठता इन नियमों के नियम 9 के निबंधनों में अवधारित की जाएगी।

7. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है: या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

8. **नियुक्ति प्राधिकारी-** टीडीएसएटी का अध्यक्ष इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

9. **ज्येष्ठता-** ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसे आरंभिक रूप से प्रतिनियुक्ति पर लिया और बाद में आमेलित किया जाता है, उस श्रेणी में ज्येष्ठता जिसमें वह आमेलित है, आमेलन की तारीख से सामान्य रूप से संगठित किया जाएगा। यदि वह, तथापि, पहले से ही (आमेलन की तारीख पर) अपने मूल विभाग में नियमित आधार पर समान या समतुल्य श्रेणी में पदधारण कर रहा है तो उस श्रेणी में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी ज्येष्ठता नियत करने में ध्यान में रखा जाएगा, इस शर्त के अध्यक्षीन उसे ज्येष्ठता दी जाएगी।

(क) वह तारीख जब वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा/रही है;

(या)

(ख) वह तारीख जिससे वह अपने मूल विभाग में समान या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है, जो भी पहले हो।

(2) ज्येष्ठता की अन्य शर्तें इन नियमों के सुसंगत उपबंधों के अनुसार होंगी और केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार और विनियमित होंगी।

10. **सेवा की अन्य शर्तें:** टीडीएसएटी के अधिकारियों की सेवा की अन्य शर्तें, जिनके लिए कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं किया गया है, समय समय पर ऐसे नियमों के अनुसार विनियमित होगी जो वेतन मैट्रिक्स के तत्समान स्तर में वेतन और भत्ते प्राप्त करने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को लागू होते हैं।

11. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना, आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

12. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण/आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (7वें सीपीसी)	चयन या अचयन पदा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. रजिस्ट्रार	1 (2023)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य	स्तर-14 (144200-218200/₹)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति [जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है (आईएसटीसी)] द्वारा	<p>प्रतिनियुक्ति:-</p> <p>(क) उच्चतर न्यायिक सेवा में अधिकारी और पदधारी:</p> <p>(i) 7 वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में नियमित आधार पर जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश के सदृश पद धारण किए हुए हो;</p> <p>या</p> <p>(ii) 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश का पद धारण किए हुए हों और स्तर में तीन वर्ष की नियमित सेवा करने वाले हों।</p> <p>या</p> <p>(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या न्यायालय या अधिकरणों के ऐसे अधिकारियों में से</p> <p>(i) (क) जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;</p> <p>या</p> <p>(ख) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है;</p> <p>और</p>

	<p>(ii) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में बैचलर डिग्री हो।</p> <p>टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (7वें सीपीसी)	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. सलाहकार	1 (2023)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य	स्तर-14 (144200-218200/रु)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति [जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है (आईएसटीसी)] द्वारा	<p>प्रतिनियुक्ति:-</p> <p>(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या न्यायालयों या अधिकरणों के ऐसे अधिकारियों में से</p> <p>(i) (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ख) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ii) (क) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री हो।</p> <p>(ख) दूरसंचार या प्रसारण में अधिमान्य, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (7वें सीपीसी)	चयन या अचयन पदा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. निदेशक	*1 (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य	स्तर-13 (123100-215900/रू)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति [जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है (आईएसटीसी)] द्वारा	<p>प्रतिनियुक्ति:- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या न्यायालय या अधिकरणों के ऐसे अधिकारियों में से</p> <p>(i) (क) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ख) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ii) (क) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री हो। और</p> <p>(ख) कार्मिक, प्रशासनिक, और लेखा मामलों के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (7वें सीपीसी)	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. संयुक्त सलाहकार	1 (2023)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह "क" पद के समतुल्य	स्तर-13 (123100-215900/रू.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा	<p>प्रतिनियुक्ति:- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या न्यायलयों या अधिकरणों के ऐसे अधिकारियों में से :</p> <p>(i) (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या</p> <p>(ख) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>और</p> <p>(ii) (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग या विधि में बैचलर डिग्री हो; और</p> <p>(ख) दूरसंचार या प्रसारण या विधि में अधिमान्य, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. उप रजिस्ट्रार	1 (2023)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह "क" पद के समतुल्य	स्तर-12 (78800-209200/रू.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति [जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है (आईएसटीसी)] द्वारा	<p>प्रोन्नति:</p> <p>7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 में दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण में ऐसे डेस्क अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने 13 वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:-</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या न्यायलयों या अधिकरणों के ऐसे अधिकारियों में से</p> <p>(i) (क) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या</p> <p>(ख) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ii) (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में बैचलर डिग्री हो; और</p> <p>(ख) कार्मिक, प्रशासनिक और विधिक मामले के क्षेत्र में कम से कम ग्यारह वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>1. अध्यक्ष, टीडीएसएटी या उसका नामनिर्देशिती - अध्यक्ष;</p> <p>2. रजिस्ट्रार, टीडीएसएटी -सदस्य ;</p> <p>3. संबंधित संयुक्त सचिव या डीडीजी, दूरसंचार विभाग - सदस्य;</p> <p>टिप्पण: उपरोक्त डीपीसी में किसी रिक्ति या व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण मात्र से कोई सिफारिश अविधिमान्य नहीं होगी।</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. प्रधान निजी सचिव	3 (2023)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह "क" पद के समतुल्य	स्तर-11 (67700-208700/रू.)	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)	(11)	(12)	(13)
67% पद प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति [जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है (आईएसटीसी)] द्वारा और 33% पद प्रतिनियुक्ति [जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है (आईएसटीसी)] या आमेलन द्वारा।	<p>प्रोन्नति: 7वें सीपीसी के स्तर 8 में दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण में ऐसे निजी सचिव या कोर्ट मास्टर (आशुलिपि) जिन्होंने छह वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति या आमेलन:- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से; (i) (क) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ख) जिन्हें वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री हो; और (iii) सुसंगत क्षेत्र में कम से कम सात वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>1. अध्यक्ष, टीडीएसएटी या उसका नामनिर्देशिती- अध्यक्ष;</p> <p>2. निदेशक, टीडीएसएटी -सदस्य ;</p> <p>3. संबंधित संयुक्त सचिव या डीडीजी, दूरसंचार विभाग – सदस्य;</p> <p>टिप्पण: उपरोक्त डीपीसी में किसी रिक्ति या व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण मात्र से कोई सिफारिश अविधिमान्य नहीं होगी।</p>	लागू नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.लेखा अधिकारी	1 (2023)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह "ख" पद के समतुल्य	स्तर-9 (53100-167800/रू.)	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति [जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है (आईएसटीसी)] द्वारा	<p>प्रोन्नति 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 में दूरसंचार विवाद समाधान और अपील प्राधिकरण में ऐसे लेखाकार जिन्होंने दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>केंद्रीय सरकार के किसी आयोजित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा एसएस या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या आईएसटीएम में नकद और लेखा कार्य में</p>	<p>1. सदस्य, टीडीएसएटी - अध्यक्ष</p> <p>2. रजिस्ट्रार, टीडीएसएटी - सदस्य</p> <p>3. संबंधित संयुक्त सचिव या डीडीजी, दूरसंचार विभाग - सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

	<p>सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो या समतुल्य और नकद, लेखाओं और बजट कार्य में अनुभव हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या न्यायालय या अधिकरणों के ऐसे अधिकारियों में से;</p> <p>(i)(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ख) जिन्होंने 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ग) जिन्होंने 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और केंद्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस) में या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। या आईएसटीएम में नकद और लेखा कार्य में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो या समतुल्य और नकद, लेखाओं और बजट कार्य का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>टिप्पण: उपरोक्त डीपीसी में किसी रिक्ति या व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण मात्र से कोई सिफारिश अविधिमान्य नहीं होगी।</p>
--	---	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (7वें सीपीसी)	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. डेस्क अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी	2 (2023)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य	स्तर-8 (47600-151100 ₹.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति [जिसके अंतर्गत अप्लकालिक संविदा भी है (आईएसपीसी)]

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
<p>प्रोन्नति:-</p> <p>7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में दूरसंचार विवाद समाधान और अपील प्राधिकरण में ऐसे सहायक जिन्होंने छह वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:-</p> <p>केंद्रीय सरकार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या न्यायालय या अधिकरणों के ऐसे अधिकारियों में से;</p> <p>(i)(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो;</p> <p>(ख) जिन्होंने 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>टिप्पण 1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>1. सदस्य, टीडीएसएटी - अध्यक्ष</p> <p>2. सलाहकार, टीडीएसएटी - सदस्य</p> <p>3. संबंधित संयुक्त सचिव या डीडीजी, दूरसंचार विभाग- सदस्य</p> <p>टिप्पण: उपरोक्त डीपीसी में किसी रिक्ति या व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण मात्र से कोई सिफारिश अविधिमान्य नहीं होगी।</p>	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (7वें सीपीसी)	चयन या अचयन पदा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. कोर्ट मास्टर (आशुलिपि) या निजी सचिव	3 (2023)* 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य	स्तर-8 (47600-151100 रू.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	67% पद प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति [जिसके अंतर्गत अप्पकालिक संविदा भी है (आईएसपीसी)] द्वारा और 33% पद प्रतिनियुक्ति [जिसके अंतर्गत अप्पकालिक संविदा भी है (आईएसपीसी)] द्वारा या आमेलन।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
<p>प्रोन्नति:-</p> <p>7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में दूरसंचार विवाद समाधान और अपील प्राधिकरण में ऐसे सहायक जिन्होंने छह वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति या आमेलन:-</p> <p>केंद्रीय सरकार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के वैयक्तिक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी 'ग';</p> <p>(i)(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो;</p> <p>(ख) जिन्होंने 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>टिप्पण 1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>1. सदस्य, टीडीएसएटी - अध्यक्ष;</p> <p>2. सलाहकार, टीडीएसएटी - सदस्य;</p> <p>3. संबंधित संयुक्त सचिव या डीडीजी, दूरसंचार विभाग- सदस्य</p> <p>टिप्पण: उपरोक्त डीपीसी में किसी रिक्ति या व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण मात्र से कोई सिफारिश अविधिमान्य नहीं होगी।</p>	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (7वें सीपीसी)	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. लेखाकार	1 (2023)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य	स्तर-8 (47600-151100/-रु.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	<p>आवश्यक:-</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थानन से बैचलर डिग्री।</p> <p>(ii) सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वशासी निकाय या कानूनी निकाय या न्यायालयों या अधिकरणों में नकद, लेखाओं और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अर्हताएं शिथिल की जा सकती है।</p>
					<p>टिप्पण: आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जो सरकार द्वारा विज्ञापित की जाए।</p>	

						<p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति [जिसके अंतर्गत अप्लकालिक संविदा भी है (आईएसपीसी)] द्वारा

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।</p> <p>(11)</p> <p>प्रतिनियुक्ति:-</p> <p>केंद्रीय सरकार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या न्यायालयों या अधिकरणों के ऐसे अधिकारियों में से;</p> <p>(i)(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या</p> <p>(ख) जिन्होंने 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>या</p> <p>(ग) जिन्होंने 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ii) (क) केंद्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवाओं (एसएस) या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p>या</p> <p>(ख) आईएसटीएम में नकद और लेखा कार्य या समतुल्य पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो और नकद, लेखाओं और बजट कार्य का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
1. सदस्य, टीडीएसएटी - अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।
2. रजिस्ट्रार, टीडीएसएटी - सदस्य;	
3. संबंधित संयुक्त सचिव या डीडीजी, दूरसंचार विभाग- सदस्य टिप्पण: उपरोक्त डीपीसी में किसी रिक्ति या व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण मात्र से कोई सिफारिश अविधिमान्य नहीं होगी।	

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (7वें सीपीसी)	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. पुस्तकालयाध्यक्ष	1 (2023)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य	स्तर-8 (47600-151100/-रू.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जो सरकार द्वारा विज्ञापित की जाए।	आवश्यक:- (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री। (ii) केंद्र या राज्य सरकार या स्वायत्त या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता-प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान में पुस्तकालय में दो वर्ष का पेशेवर अनुभव। वांछित: i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री ii) किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर ऐप्लीकेशन में डिप्लोमा। टिप्पण 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की सकती है जब

						चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति [जिसके अंतर्गत अप्लकालिक संविदा भी है (आईएसपीसी)] द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
<p>प्रतिनियुक्ति:-</p> <p>केंद्रीय सरकार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या न्यायालयों या अधिकरणों;</p> <p>(i)(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो;</p> <p>या</p> <p>(ख) जिन्होंने 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>या</p> <p>(ग) जिन्होंने 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>और</p> <p>(ii) जिनके पास स्तंभ 7 में यथानिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>1. सदस्य, टीडीएसएटी - अध्यक्ष;</p> <p>2. सलाहकार, टीडीएसएटी - सदस्य;</p> <p>3. संबंधित संयुक्त सचिव या डीडीजी, दूरसंचार विभाग - सदस्य</p> <p>टिप्पण: उपरोक्त डीपीसी में किसी रिक्ति या व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण मात्र से कोई सिफारिश अविधिमान्य नहीं होगी।</p>	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (7वें सीपीसी)	चयन या अचयन पदा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. सहायक	2 (2023)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य	स्तर-6 (35400-112400/-रु.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नत द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति [जिसके अंतर्गत अप्रकालिक संविदा भी है (आईएसपीसी)] द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
<p>प्रोन्नति :-</p> <p>7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक (यूडीसी) जिन्होंने दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>प्रतिनियुक्ति:-</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या न्यायालय या अधिकरणों के ऐसे अधिकारियों में से;</p> <p>(i)(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो;</p> <p>(ख) जिन्होंने 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>1. सदस्य, टीडीएसएटी - अध्यक्ष</p> <p>2. सलाहकार, टीडीएसएटी - सदस्य</p> <p>3. संबंधित संयुक्त सचिव या डीडीजी, दूरसंचार विभाग - सदस्य</p> <p>टिप्पण: उपरोक्त डीपीसी में किसी रिक्ति या व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण मात्र से कोई सिफारिश अविधिमान्य नहीं होगी।</p>	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (7वें सीपीसी)	चयन या अचयन पदा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. वैयक्तिक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी 'ग'	4 (2023)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य	स्तर-6 (35400-112400/- ₹.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति [जिसके अंतर्गत अप्लकालिक संविदा भी है (आईएसपीसी)] द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति:- 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में दूरसंचार विवाद समाधान और अपील प्राधिकरण में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 'घ' जिन्होंने दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।
प्रतिनियुक्ति:- केंद्रीय सरकार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या न्यायालय या अधिकरणों के ऐसे अधिकारियों में से; (i)(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ख) जिन्होंने 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो;
टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
1. सदस्य, टीडीएसएटी - अध्यक्ष 2. निदेशक, टीडीएसएटी - सदस्य 3. संबंधित संयुक्त सचिव या डीडीजी, दूरसंचार विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता।
टिप्पण: उपरोक्त डीपीसी में किसी रिक्ति या व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण मात्र से कोई सिफारिश अविधिमान्य नहीं होगी।	

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th April, 2023

G.S.R. 305(E).—In exercise of the powers conferred by clause(dc) of sub-section (2) of section 35 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain posts in the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal, namely: -

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (Officers) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. -These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Initial Constitution.- Persons holding the posts in Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) for which these recruitment rules are framed on the date of commencement of these rules on regular basis shall be deemed to be appointed in their respective grades on regular basis subject to the condition that they fulfill eligibility conditions prescribed under the rules on the date of appointment to the said posts and service rendered by them in said posts before the commencement of these recruitment rules shall be taken into account for the purpose of rights and privileges as to seniority, pensions, gratuity and other like benefits.

4. Number of posts, classification and the level in pay matrix. - The number of the posts, their classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

5. Methods of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed hereunder.

6. Absorption of existing employees.-(1)Persons working in the posts in TDSAT either on transfer or on deputation basis, for which absorption can take place, on the date of commencement of these rules and who fulfil the qualifications and experience laid in the rules and who are considered suitable by the Departmental Promotion Committee shall be eligible for absorption in their respective grades subject to the condition that such persons exercise their option and that the parent department do not have any objection to their being absorbed in TDSAT.

(2) The seniority of officers absorbed as mentioned in sub-rule (1) shall be determined in terms of rule 9 of these rules.

7. Disqualification. – No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. Appointing Authority. - The Chairperson of the TDSAT shall be the appointing authority to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

9. Seniority. – (1) In the case of a person who is initially taken on deputation and absorbed later, his or her seniority in the grade in which he or she is absorbed shall normally be counted from the date of absorption. If he or she has, however, been holding already (on the date of absorption) the same or equivalent grade on regular basis in his or her parent department, such regular service in the grade shall also be taken into account in fixing his or her seniority, subject to the condition that he or she shall be given seniority from, –

(a) the date he or she has been holding the post on deputation;

(or)

- (b) the date from which he or she has been appointed on a regular basis to the same or equivalent grade in his or her parent department, whichever is earlier.

(2) The other conditions of seniority shall be in accordance with the relevant provisions of these rules and shall be regulated further as per guidelines issued by the Central Government from time to time in this regard.

10. Other Conditions of Service.- Other conditions of service of the officers of TDSAT, for which no specific provision has been provided, shall be regulated in accordance with such rules as are, from time to time, applicable to officers of the Central Government drawing the pay and allowances in corresponding level in pay matrix.

11. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person for making appointments on these posts.

12. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in the Pay Matrix (7th CPC)	Whether selection or Non-selection	Age Limit for direct recruits	Education al and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I. Registrar	1 (2023)* Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government	Level 14 (Rs.144200 -218200)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In the case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation [Including Short Term Contract (ISTC)]	Deputation: - (A) Officers in Superior Judicial Service and holding: (i) an analogous post of District Judge or Additional District Judge on regular basis in level 14 of Pay Matrix of 7 th CPC; or (ii) holding the post of District Judge or Additional District Judge in level 13 of Pay Matrix of 7 th CPC and having three years' regular service in the level. or (B) Officers of Central or State Government or Union Territories or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution or Courts or Tribunals: (i) (a) holding analogous post on regular basis	Not applicable	Not applicable.

	<p>in the parent cadre or department; or (b) with three years' regular service in the level-13 of the pay matrix; and (ii) having Bachelor's degree in Law from a recognised University or Institution.</p> <p>Note 1: The period of deputation in the post including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. Advisor	1 (2023)* Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government	Level 14 (Rs.144200-218200)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation [Including Short Term Contract(ISTC)]	<p>Deputation: - Officers of Central or State Government or Union Territories or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution or Courts or Tribunals: (i) (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (b) with three years' regular service in the level-13 of the pay matrix; and (ii) (a) having a Degree in Engineering from a recognised University or Institution; and (b) fifteen years of experience in the field of engineering, preferable in Telecommunications or Broadcasting.</p> <p>Note 1: The period of deputation in the post including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	Not applicable	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. Director	1 (2023)* Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government	Level 13 (Rs.123100-215900)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation [Including Short Term Contract(ISTC)]	<p>Deputation: - Officers of Central or State Government or Union Territories or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution or Courts or Tribunals: (i) (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (b) with five years' regular service in the level-12 of the pay matrix of 7th CPC; and (ii) (a) having a Bachelor's Degree from a recognised University or Institution; and (b) at least 10 years' experience in the field of personnel, administrative, and accounts matters.</p> <p>Note 1: The period of deputation in the post including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	Not applicable	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. Joint Advisor	1 (2023)* Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government	Level 13 (Rs.123100-215900)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation [Including Short Term Contract(ISTC)]	<p>Deputation: - Officers of Central or State Government or Union Territories or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution or Courts or Tribunals: (i) (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (b) with five years' regular service in the level-12 of the pay matrix; and (ii) (a) having Bachelor's degree in Engineering or Law from a recognised University or Institution; and (b) having ten years of experience in the field of engineering, preferably in Telecommunications or Broadcasting or Law.</p> <p>Note 1: The period of deputation in the post including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately</p>	Not applicable	Not applicable.

	<p>preceding in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. Deputy Registrar	1 (2023)* Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government	Level 12 (Rs.78800-209200)	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for Promotees.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation [Including Short Term Contract(ISTC)]	<p>Promotion:-</p> <p>Desk Officer or Administrative Officer in Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal with thirteen years of regular service in the level 8 of Pay Matrix of 7th CPC.</p> <p>Deputation:-</p> <p>Officers of Central or State Government or Union Territories or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution or Courts or Tribunals:</p> <p>(i) (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>(b) with five years' regular service in the level-11 of the pay matrix; and</p> <p>(ii) (a) having a Bachelor's degree in Law from a recognised University or Institution;</p> <p>and</p> <p>(b) having at least Eleven years' experience in the field of personnel, administrative and legal matter.</p> <p>Note 1: The period of deputation in the post including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>1. Chairperson, TDSAT or his or her nominee - Chairman;</p> <p>2. Registrar, TDSAT - Member;</p> <p>3. Joint Secretary or DDG concerned, D/o Telecommunications - Member.</p> <p>Note: No recommendation shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a person in the above DPC.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. Principal Private Secretary	3 (2023)* Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government	Level 11 (Rs.67700-208700)	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for Promotees.

(10)	(11)	(12)	(13)
67% posts by promotion failing which by deputation [Including Short Term Contract (ISTC)] and 33% posts by deputation [Including Short Term Contract (ISTC)] or absorption.	<p>Promotion: - Private Secretary or Court Master (Shorthand) of the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal with six years of regular service in level 8 of Pay Matrix of 7th CPC.</p> <p>Deputation or Absorption: - Officers of Central or State Government or Union Territories: (i) (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (b) with six years' regular service in the level- 8 of the pay matrix; and (ii) having Bachelor's degree from a recognised University or Institution; and (iii) at least seven years' experience in the relevant field.</p> <p>Note 1: The period of deputation in the post including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>1. Chairperson, TDSAT OR his or her nominee - Chairman;</p> <p>2. Director, TDSAT - Member;</p> <p>3. Joint Secretary or DDG concerned, D/o Telecommunications - Member.</p> <p>Note: No recommendation shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a person in the above DPC.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. Accounts Officer	1 (2023)* Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'B' post in the Central Government	Level 9 (Rs.53100-167800)	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation [Including Short Term Contract(ISTC)]	<p>Promotion:- Accountant in Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal with two years' regular service in level 8 of the pay matrix of 7th CPC;</p>	1. Member, TDSAT - Chairman;	Not applicable.

	<p>and passed in Subordinate Audit/Account Services (SAS) or equivalent examination conducted by any of the organised accounts departments of the Central Government;</p> <p>or successful completion of training in Cash and Accounts work in ISTM or equivalent and experience in Cash, Accounts and Budget work.</p> <p>Deputation:- Officers of Central or State Government or Union Territories or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution or Courts or Tribunals:</p> <p>(i) (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>(b) with two years' regular service in the level-8 of the 7th CPC pay matrix;</p> <p>or</p> <p>(c) with three years' regular service in the level-7 of the 7th CPC pay matrix;</p> <p>and passed in Subordinate Audit/Account Services (SAS) or equivalent examination conducted by any of the Organised accounts departments of the Central Government;</p> <p>or successful completion of training in Cash and Accounts work in ISTM or equivalent and experience in Cash, Accounts and Budget work.</p> <p>Note 1: The period of deputation in the post including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>2. Registrar, TDSAT - Member;</p> <p>3. Joint Secretary or DDG concerned, D/o Telecommunications - Member.</p> <p>Note: No recommendation shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a person in the above DPC.</p>	
--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. Desk Officer or Administrative Officer	2 (2023)* Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'B' post in the Central Government	Level 8 (Rs.47600-151100)	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation [Including Short Term Contract (ISTC)]	Promotion:- Assistant in Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal with six years of regular service in the level 6 of Pay Matrix of 7 th CPC.	<p>1. Member, TDSAT - Chairman;</p> <p>2. Advisor, TDSAT - Member;</p> <p>3. Joint Secretary or DDG concerned, D/o Telecommunications - Member.</p>	Not applicable.

	<p>Deputation:-</p> <p>Officers of Central or State Government or Union Territories or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution or Courts or Tribunals:</p> <p>(i) (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (b) with two years' regular service in the level- 7 of the pay matrix of 7th CPC.</p> <p>Note 1: The period of deputation in the post including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>Note: No recommendation shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a person in the above DPC.</p>	
--	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9. Court Master (Shorthand) or Private Secretary	3 (2023)* Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'B' post in the Central Government	Level 8 (Rs.47600-151100)	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
67% posts by promotion failing which by deputation [Including Short Term Contract (ISTC)] and 33% posts by deputation [Including Short Term Contract (ISTC)] or absorption.	<p>Promotion: -</p> <p>Personal Assistant or Steno Grade 'C' of the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal with six years of regular service in the level-6 of Pay Matrix of 7th CPC.</p> <p>Deputation or Absorption: -</p> <p>Personal Assistant or Steno Grade 'C' of Central or State Government or Union Territories:</p> <p>(i) (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (b) with two years' regular service in the level-7 of the pay matrix of 7th CPC.</p> <p>Note 1: The period of deputation in the post including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>1. Member, TDSAT - Chairman;</p> <p>2. Advisor, TDSAT - Member;</p> <p>3. Joint Secretary or DDG concerned, D/o Telecommunications - Member.</p> <p>Note: No recommendation shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a person in the above DPC.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10. Accountant	1 (2023)* Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'B' post in the Central Government	Level 8 (Rs.47600-151100)	Not applicable	30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the government.	Essential: - (i) Bachelor's Degree from a recognised university or institution. (ii) two years' experience in Cash, Accounts and Budget work in a government office or Public Sector Undertaking or Autonomous body or Statutory body or Courts or Tribunals. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Central Government in case the candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits.

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment failing which by deputation [Including Short Term Contract(ISTC)]	Deputation Officers of Central or State Government or Union Territories or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or	1. Member, TDSAT - Chairman; 2. Registrar, TDSAT - Member; 3. Joint Secretary or DDG concerned,	Not applicable.

	<p>Recognised Research Institution or Courts or Tribunals:</p> <p>(i) (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>(b) with two years' regular service in the level-7 of the pay matrix of 7th CPC;</p> <p>or</p> <p>(c) with six years' regular service in the level-6 of the pay matrix of 7th CPC;</p> <p>and</p> <p>(ii) (a) passed in Subordinate Audit/Account Services (SAS) or equivalent examination conducted by any of the Organised account department of the Central Government;</p> <p>or</p> <p>(b) successful completion of training in Cash and Accounts work in ISTM or equivalent and experience in Cash, Accounts and Budget work.</p> <p>Note 1: The period of deputation in the post including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>D/o Telecommunications - Member.</p> <p>Note: No recommendation shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a person in the above DPC.</p>	
--	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11. Librarian	01 (2023)* Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'B' post in the Central Government	Level 8 (Rs.47600-151100)	Not applicable	Not exceeding 30 years. (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Essential: - (i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or institution; (ii) two years' professional experience in a Library under Central or State Government or autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or recognised research or educational institution.	Not applicable	Two years for direct recruits.

					<p>advertised by the government.</p> <p>Desirable: -</p> <p>(i) Master's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or institution;</p> <p>(ii) Diploma in Computer Applications from a recognised university or institution.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Central Government in case the candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation [Including Short Term Contract(ISTC)] failing which by direct recruitment	<p>Deputation:</p> <p>Officers in Central or State Government or Union Territories or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution or Courts or Tribunals:</p> <p>(i) (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(b) with two years' regular service in the level-7 of the pay matrix of 7th CPC; or</p> <p>(c) with six years' regular service in the level-6 of the pay matrix of 7th CPC; and</p> <p>(ii) having educational qualifications and experience as specified in column 7.</p>	<p>1. Member, TDSAT - Chairman;</p> <p>2. Advisor, TDSAT - Member;</p> <p>3. Joint Secretary or DDG concerned, D/o Telecommunications - Member.</p> <p>Note: No recommendation shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a person in the above DPC.</p>	Not applicable.

	<p>Note 1: The period of deputation in the post including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12. Assistant	2 (2023)* Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'B' post in the Central Government	Level 6 (Rs.35400-112400)	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for Promotees.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation [Including Short Term Contract(ISTC)]	<p>Promotion:- Upper Division Clerk (UDC) in Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal with ten years of regular service in level 4 of Pay Matrix of 7th CPC.</p> <p>Deputation:- Officers of Central or State Government or Union Territories or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution or Courts or Tribunals:</p> <p>(i) (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>(b) with ten years' regular service in the level-4 of the 7th CPC pay matrix.</p> <p>Note 1: The period of deputation in the post including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>1. Member, TDSAT - Chairman;</p> <p>2. Advisor, TDSAT - Member;</p> <p>3. Joint Secretary or DDG concerned, D/o Telecommunications - Member.</p> <p>Note: No recommendation shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a person in the above DPC.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13. Personal Assistant or Stenographer Grade 'C'	4 (2023)* Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'B' post in the Central Government	Level 6 (Rs.35400-112400)	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for Promotees.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation [Including Short Term Contract(ISTC)]	<p>Promotion:-</p> <p>Stenographer Grade 'D' in Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal with ten years' regular service in level 4 of the pay matrix of 7th CPC.</p> <p>Deputation:-</p> <p>Officers of Central or State Government or Union Territories or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution or Courts or Tribunals:</p> <p>(i) (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(b) with ten years' regular service in the level 4 of the 7th CPC pay matrix.</p> <p>Note 1: The period of deputation in the post including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>1. Member, TDSAT - Chairman;</p> <p>2. Director, TDSAT - Member;</p> <p>3. Joint Secretary or DDG concerned, D/o Telecommunications - Member.</p> <p>Note: No recommendation shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a person in the above DPC.</p>	Not applicable.

[F. No.15-08/2011-Restg.(Vol.III)]

ANAND SINGH, Jt. Secy.